भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1590
जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।
6 श्रावण, 1943 (शक)

स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप विकसित करना

1590. श्री रोड़मल नागर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा व्हाट्एस ऐप और अन्य माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जैसे समान ऐप की तर्ज पर स्वदेशी ऐप को विकसित/प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में सर्वर स्थापित करने वाले फेसबुक, ट्विटर और अन्य विदेशी सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने त्वरित संदेश संचार के लिए एक स्वदेशी समाधान **सैंड्स** विकसित किया है। सैंड्स एक खुला स्रोत आधारित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी अवसंरचना पर होस्ट किया गया है ताकि सामरिक नियंत्रण भारत सरकार के पास बना रहे। इसमें वन टू वन और ग्रुप मैसेजिंग, फाइल और मीडिया शेयरिंग, ऑडियो वीडियो कॉल और ई-शासन एप्लिकेशन इंटीग्रेशन आदि जैसी विशेषताएं हैं। समाधान का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में परिभाषित मध्यस्थ हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार ने इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है जो सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित सभी मध्यस्थों द्वारा सम्यक तत्पड़ता का अनुपालन करने को विनिर्धारित करता है। इन नियमों में फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (एसएसएमआई) द्वारा अनुपालन की जाने वाली अतिरिक्त सावधानी बरतने का भी प्रावधान है। ये नियम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की वेबसाइट *https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf* पर उपलब्ध हैं।

(घ) : यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

****